न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 46/10 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. फूलचन्द पुत्र सूरजभान जाति अहीर निवासी डवानी तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

2. बोदन पुत्र सूरजभान जाति अहीर निवासी डवानी तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

3. हीरालाल पुत्र सूरजभान जाति अहीर निवासी डवानी तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

4. शेरसिंह पुत्र सूरजभान जाति अहीर निवासी डवानी तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

5. रामजीलाल पुत्र हेतराम जाति अहीर निवासी बनेसिंहपुरा तह0 बहरोड जिला अलवर राजस्थान

6. रामपत पुत्र हेतराम जाति अहीर निवासी बनेसिंहपुरा तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

7. रघुवीर पुत्र सोहन जाति जोगी निवासवी खोहर तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

8. प्रहलाद पुत्र चेतनाथ जाति जोगी निवासी खोहर तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

9. फूलचन्द पुत्र चेतनाथ जाति जोगी निवासी खोहर तहसील

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

बहरोड जिला अलवर राजस्थान

10. लीली बेवा छोटेलाल जाति जोगी निवासी खोहर तहसील
बहरोड जिला अलवर राजस्थान

11. महेश पुत्र छोटेलाल जाति जोगी निवासी खोहर तहसील
बहरोड जिला अलवर राजस्थान

12. नवीन पुत्र छोटेलाल जाति जोगी निवासी खोहर तहसील
बहरोड जिला अलवर राजस्थान

13. नरेश पुत्र छोटेलाल जाति जोगी निवासी खोहर तहसील
बहरोड जिला अलवर राजस्थान

14. कान्हाराम पुत्र भगतनाथ जाति जोगी निवासी खोहर तहसील
बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:--------- अपीलांटस

बनाम

01 जयसिंह पुत्र सूरजसिंह राजपूत निवासीस खोहर तहसील
बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:------- असल रेस्पो0

02 राजबाई पत्नी सूरजभान जाति राजपूत निवासी खोहर
तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान हाल ग्राम बोहडी तहसील
नारनौल हरियाणा

:---- तरतीबी रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

Scanned by CamScanner

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 3.5.06 व पर्चा डिक्री दिनांक

12.2.2007 सहायक कलेक्टर, बहरोड

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- सर्व श्री विनोद यादव, मनीष यादव

2. वकील रेस्पो0 :- श्री रामेश्वर दयाल

निर्णय दिनांक 29/7/19.

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर, बहरोड द्वारा राजस्व वाद संख्या 335/2001 में पारित निर्णय दिनांक 3.5.2006 तथा पर्चा डिक्री दिनांक 12.2.2007 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद बाबत इस्तकरारहक व हुकम इम्तनाई दवामी डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 474, 475, 483, 485, 488, 566, 567, 571, 592, 594, 698, 710, 713, 815, 835, 714, 568, 573 वाके ग्राम खोहर तहसील बहरोड विवादित है । इनमें से खसरा नम्बर 474, 475, 488, 484, 485, 488, 566, 567, 571, 592, 594, 608, 710, 713, 815, 835 में वादी तथा प्रतिवादी संख्या 12 सूरजभान प्रत्येक 1/2 भाग के बहिस्से बराबर काबिज खातेदार है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 714 के 6 बिस्वा रकबा के वादी तथा प्रतिवािदी संख्या 12 प्रत्येक 1/2 भाग के बहिस्सा बराबर खातेदार है, शेष 01 बीघा 19 बिस्वा का खातेदार प्रतिवादी संख्या 13 है । खसरा नम्बर 568, 573 के 1/2 भाग के खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 12 बहिस्सा बराबर खातेदार है । वादी अपने उपरोक्त हिस्से पर काबिज है । प्रतिवादी संख्या 12 प्रतिवादी संख्या 01 का पति है, जिन्होंने दिनांक 22.3.79 को वादी जयसिंह पुत्र सूरजसिंह राजपूत के स्थान पर अन्य व्यक्ति को खडा करके वादी के फर्जी हस्ताक्षर अंगूठा करके फर्जी मुख्त्यारनामा आम प्रतिवादी संख्या 02 को बनाते हुये तैयार किया तथा नोटेरे से तस्दीक करा दिया । इस मुख्त्यारनामा के आधार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
... अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

पर प्रतिवादी संख्या 02 ने प्रतिवादी संख्या 01 के हक में भूमि का हिबेनामा करा दिया । और इस हिबेनामा के आधार पर इन्तकाल दर्ज करा लिया और आराजी का गलत तौर पर बेचान कर दिया । इससे वादी के हकूक प्रभावित होते हैं । अतः दावा डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद डिक्री किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों के दोहराते हुये तर्क दिये कि हम पक्षकारान में राजीनामा हो चुका है । अतः मुताबिक राजीनामा अपील का निस्तारण किया जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि अगर राजीनामा के अनुसार अपील का निस्तार कर दिया जाता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया । चूंकि राजीनामा पर गौर करते हुये वाद पत्र में तहत न्यायालय द्वारा ही कार्यवाही की जानी है । अतः ऐसी स्थिति में हम प्रकरण को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3.5.06 तथा डिक्री दिनांक 12.2.2007 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को मूल राजीनामा भेजकर इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि वो राजीनामा के आधार पर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक   को उपस्थित हो ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । मूल राजीनामा निर्णय की प्रति के साथ तहत न्यायालय को भिजवाया जावे तथा उसकी प्रमाणित प्रति अपील पत्रावली में संलग्न की जावे ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner